# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 594/2020**

पवन कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, भरतपुर।
3. तहसीलदार, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 06.07.2020
**आदेश की दिनांक** : 03.05.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावडा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 10.01.2014 (अनुलग्नक–1) द्वारा पटवारी के पद पर हुई, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा जनवरी 2014 को कार्यग्रहण किया गया। अपीलार्थी दिनांक 25.01.2016 से दिनांक 28.04.2016 तक कुल 95 दिवस मेडिकल अवकाश पर रहा। जिसके समस्त मेडिकल दस्तावेज प्रत्यर्थी विभाग को दिये। परन्तु उक्त अवधि के प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के मेडिकल अवकाश स्वीकृत नहीं किये तथा जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के विरुद्ध जांच कर आदेश दिनांक 30.05.2018 (अनुलग्नक–2) द्वारा दिनांक 25.01.2016 से 28.04.2016 तक की कुल 95 दिवस की अनुपस्थिति का कोई वेतन नहीं दिया जाकर पिछले सेवाकाल को जब्त (फोरफिट) करने के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील विचाराधीन है तथा अपीलार्थी दिनांक 29.04.2016 से नियमित रूप से कार्यरत् है। अपीलार्थी दिनांक 05.07.2016 से दिनांक 06.09.2016 तक कुल 64 दिन मेडिकल अवकाश पर रहा। जिसके समस्त मेडिकल दस्तावेज व अवकाश प्रमाण पत्र के साथ में प्रत्यर्थीगण को प्रस्तुत कर दिये गये। परन्तु आज तक भी प्रत्यर्थीगण ने उक्त अवधि के मेडिकल अवकाश स्वीकृत नहीं किये है तथा अपीलार्थी का अक्टूबर 2018 में भुसावर, भरतपुर से जयपुर में स्थानान्तरण किया गया। जिसकी पालना में दिनांक 05.10.2018 से जयपुर में पटवार मण्डल जमवा रामगढ़ में कार्यरत् है तथा अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी का चयन नियमित रूप से स्थाई नियुक्तियों के विरूद्ध किया गया है तथा अपीलार्थी ने पटवार प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर

लिया है तथा अपीलार्थी ने पूर्व में दो वर्ष का परीविक्षा काल भी पूर्ण कर लिया था। परीविक्षाकाल पूर्ण करने के पश्चात् अपीलार्थी को आज तक भी नियमित रूप से वेतन व वेतन वृद्धियां नहीं दी गई है। अपीलार्थी परीविक्षाकाल का वेतन ही प्राप्त कर रहा है। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने आलौच्य आदेश दिनांक 05.12.2019 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी की पूर्व की सेवाओं को फोरफिट किये जाने के कारण अपीलार्थी किसी प्रकार का वेतन व नियमितीकरण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों के विपरीत जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है। अपीलार्थी ने दिनांक 27.01.2020, 27.02.2020 को प्रत्यर्थी विभाग को पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–4) परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 5क के प्रावधानों के अनुसार तथा राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार किसी भी कार्मिक को दो वर्ष से अधिक की अवधि तक परीविक्षाकाल पर नहीं रखा जा सकता है। अपीलार्थी ने सेवा नियमों के अनुसार विभागीय पटवार प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा दो वर्ष का परीविक्षाकाल बिना किसी व्यवधान के पूर्ण किया है। केवल मात्र दिनांक 25.01.2016 से 28.04.2016 तक की अवधि के मेडिकल अवकाश स्वीकृत नहीं करने के कारण आदेश दिनांक 30.05.2018 के द्वारा अपीलार्थी की पूर्व की सेवाओं को फोरफिट किये जाने के आदेश पारित किये जाने को आधार मानकर अपीलार्थी को नियमित वेतन व नियमित रूप से वेतनवृद्धि नहीं दे रहे है जबकि आदेश दिनांक 30.05.2018 में अपीलार्थी के परीविक्षाकाल व पटवार परीक्षा उत्तीर्ण को ना तो आदेश दिनांक 30.05.2018 के द्वारा परिवर्तित किया गया है व ना हीं किसी नियम में यह उल्लेख है कि किसी कार्मिक की पूर्व की सेवायें फोरफिट किये जाने के कारण किसी कार्मिक को नियमित वेतन व आगामी वेतन वृद्धियां नहीं मिलेगी। प्रत्यर्थी विभाग के पास में दिनांक 05.07.2016 से दिनांक 06.09.2016 तक कुल 64 दिन का मेडिकल अवकाश अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 3 को प्रस्तुत कर दिया था परन्तु प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 ने उक्त अवकाश पर कोई आदेश पारित नहीं किया है और ना ही प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त अवधि का वेतन दिया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 05.12.2019 को निरस्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 11.01.2016 से स्थाईकरण मानते हुए दिनांक 29.04.2016 से नियमित रूप से पटवारी का वेतन व नियमित वेतन वृद्धियां व 7 वें वेतनमान का लाभ समस्त एरियर सहित 12 प्रतिशत ब्याज सहित अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण से दिलवाया जावें तथा दिनांक 05.07.2016 से 06.09.2016 तक की अवधि का मेडिकल अवकाश स्वीकृत कर वेतन का भुगतान किया जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से यह बताया गया कि अपीलार्थी को नियमित रूप से वेतन और वेतन वृद्धि तथा 7वें वेतनमान का लाभ प्रदान हो चुका है। अतः अब इस हद तक कोई अनुतोष नहीं चाहा जा रहा है। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी का दिनांक 05.07.2016 से 06.09.2016 तक का मेडिकल अवकाश स्वीकृति का प्रकरण प्रत्यर्थी विभाग के पास लम्बित है। उसका निस्तारण करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे। प्रकरण के तथ्यों के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के लम्बित चिकित्सा अवकाश के आवेदन का अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार निस्तारण किया जावे और उसकी सूचना अपीलार्थी को दी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावडा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**